

पत्र संख्या -विधि-तीन-(1)-4-धारा-21-(04-05)/

1997


/ वाणिज्य कर,  
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(विधि अनुभाग)

दिनांकः लखनऊः मार्च 04, 2008

**-: आदेश :-**

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम) की धारा-21-(2) के परन्तुक में दिये गये अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों का अतिक्रमण करते हुये तात्कालिक प्रभाव से, मैं कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-21-(2) सपठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-81 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम- 2008 की धारा- 29 (7) में दिये गये अधिकारों को तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रकार अधिकारियों को प्रतिनिधायित करता हूँ।


- 1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, को उनके अधिक्षेत्र के व्यापारियों के मामलों में।
- 2- ज्वाइण्ट कमिश्नर स्तर तक के ऐसे अधिकारी, जिनके पास किसी जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार हो, सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 के अधिक्षेत्र के व्यापारियों के मामलों में।
- 3- शासनादेश संख्या- सं0क0नि0- अनुभाग-4- 2382/ ग्यारह दिनांक 8-1-2008 के द्वारा कमिश्नर व्यापार कर कार्यालय में गठित सहायता केन्द्र के असत्यापित पारगमन पत्रों के मामलों में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / एडीशनल कमिश्नर (विधि) ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा मुख्यालय के ज्वाइण्ट कमिश्नर स्तर तक के ऐसे अधिकारी जिनके पास एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / एडीशनल कमिश्नर (विधि) ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार हो।

  
( सुनील कुमार )

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

**पृष्ठाकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त**

- 1- प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, 30प्र0।
- 4- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, 30प्र0।
- 5- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर, 30प्र0।
- 6- असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, 30प्र0।
- 7- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।
- 8- मैनुअल अनुभाग को पाँच प्रतियां।
- 9- विधि अनुभाग को अनुभाग को पचास प्रतियां।
- 10- सूचना केन्द्र वाणिज्य कर मुख्यालय को पाँच प्रतियां।
- 11- नई इकाई अनुभाग को दस प्रतियां।

  
( डा0 आर0बी0श्रीवास्तव )

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।